

ध्यानाकर्षण स्मरण-पत्र
अति. आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.5(ट-29)कोष/बजट/हैड/2010-11/268-407

दिनांक:- 21/4/2011

समस्त विभागाध्यक्ष,
वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी
वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी
(बजट नियंत्रण अधिकारी)
राजस्थान।

विषय:- मुख्य एवं लघुशीर्ष मदों के पुनरीक्षण के संबंध में।


- प्रसंग:- (1) इस विभाग के परिपत्र दिनांक 14.12.10, 24.12.10 एवं पत्र क्रमांक 6249-941 दिनांक 10.01.2011 तथा 8056--355 दि. 21.02.11
(2) निदेशक (बजट) वित्त विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक: एफ.8(22) एफ.डी.1(1)बजट/2000/पीटी-V दिनांक 21.12.2010

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्रों एवं पत्रों के माध्यम से मुख्य एवं लघुशीर्ष मदों के पुनरीक्षण के संबंध में आपकी राय एवं सुझाव विभाग को ई-मेल (dir-ta-rj@nic.in) पर शीघ्र प्रेषित करने हेतु निरन्तर लिखने के उपरान्त भी आपके विभाग की वांछित सूचना अभी तक अपेक्षित है।

मुख्य एवं लघुशीर्ष मदों के पुनरीक्षण की विस्तृत सूचना विभागीय वेबसाईट (dta.raj.nic.in) पर Circular पर उपलब्ध है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मुख्य एवं लघुशीर्ष मदों के पुनरीक्षण के संबंध में अपनी राय एवं सुझाव दिनांक 15.05.11 तक व्यक्तिशः/ई-मेल के माध्यम से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि सूचना संकलित कर निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित की जा सके।

भवदीय


निदेशक

